(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02 / 2016

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2016 / 00025

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री कालूराम पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
2. श्री हेमराज पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
3. श्री मोहनलाल पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
4. श्री नन्दकिशोर पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा **(मृतक)**

4/1 श्री कुलदीप पुत्र नन्दकिशोर काछी निवासी पुदानी जी की फैक्ट्री कुशवाह मोहल्ला छीपाबडौद

4/2 संगीता पुत्री नन्दकिशोर जाति काछी निवासी पुदानी जी की फैक्ट्री कुशवाह मोहल्ला छीपाबडौद

4/3 संतोष पत्नी नन्दकिशोर जाति काछी निवासी पुदानी जी की फैक्ट्री कुशवाह मोहल्ला छीपाबडौद

5. कौशल्या बाई पुत्री भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद **(मृतक)**

5/1 श्री कैलाश पुत्र बसन्तीलाल पति कौशल्या बाई काछी निवासी शराब गोदाम के पास छीपाबडौद

6. भगवती बाई पुत्री शंकरलाल जाति काछी निवासी छीपाबडौद जिला बारॉ
7. अमरी बाई पुत्री शंकरलाल जाति काछी निवासी छीपाबडौद जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) आवंटन नियम, 1970

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2– अनुपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 06.12.2024

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1962 एवं 26.6.1965 से वाके ग्राम हरनावदीजागीर तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नं. 191/131 की रकबा 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई। आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं रहा है तथा आवंटी फोत हो चुका है। इंतकाल नम्बर 89 दिनांक 25.04.1989 को उक्त भूमि आवंटी के वारिसान कालूराम, हेमराज, मोहनलाल, नन्दकिशोर पुत्र भागचन्द हिस्सा 1/3 भगवतीबाई, अमरीबाई पुत्रिया शंकरलाल हिस्सा 2/3 कोम काछी सा. छीपाबडौद के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज है। आवंटी व आवंटी के वारिसान का उक्त आवंटन की गई भूमि पर कब्जा नही है। उक्त आवंटन आदेश निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 04 व 05 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया और उनको जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 4/1 व 4/3 द्वारा दि. 29.1.2024 को इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। इसके पश्चात् अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 को रूक–रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई, उनके इस न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1962 एवं 26.6.1965 से वाके ग्राम हरनावदीजागीर तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नं. 191/131 की रकबा 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई। आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं रहा है तथा आवंटी फोत हो चुका है। इंतकाल नम्बर 89 दिनांक 25.04.1989 को उक्त भूमि आवंटी के वारिसान कालूराम, हेमराज, मोहनलाल, नन्दकिशोर पुत्र भागचन्द हिस्सा 1/3 भगवतीबाई, अमरीबाई पुत्रिया शंकरलाल हिस्सा 2/3 कोम काछी सा. छीपाबडौद के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज है। आवंटी व आवंटी के वारिसान का उक्त आवंटन की गई भूमि पर कब्जा नही है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमावें।

प्रकरण में एकपक्षीय पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद का कथन है कि तहसील हाजा के ग्राम हरनावदीजागीर की आराजी खसरा नं. 191/131 की रकबा 10.00 बीघा भूमि शंकरलाल पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1962 एवं 26.6.1965 से आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी एवं उसके कायम मुकामान का आज तक भूमि पर कब्जा नहीं रहा है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र भागचन्द जाति काछी निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1962 एवं 26.6.1965 से वाके ग्राम हरनावदीजागीर तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नं. 191/131 की रकबा 10.00 बीघा भूमि आवंटन की गई। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किए जाने से उक्त आवंटन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **06.12.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:52:24 IST
Reason: SelfAttested